

पीठारं: ...
 राजपुत्र: ...
 न पेश हो।
 22.6.21

22-6-21

वकील पञ्जकारान' उपस्थित ही मूलाद
 में तन्कीयात कायम की गरी पत्रावली
 वाले बहस प्रार्थना पत्र नु के लिए
 दिनांक 5-10-21 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के
 संग अभियान 202
 केम्प कोर्ट
 खानपुरा में

5/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के
 तहत केम्प खानपुरा में दि 11/10/21 को
 पेश हो।

11/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
 के तहत केम्प कोर्ट खानपुरा में पेश हुई।
 पञ्जकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न
 ही प्रार्थना से 1 नन्दलाल उपस्थित ही
 उपस्थित पञ्जकारान की बहस सुनी गई।
 प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.5.2016 को
 जारी अस्थायी निषेधाज्ञा तार्किकता बाद
 पुष्ट की जाती ही निषयि सुनाया गया।
 पत्रावली फेसलशुमार होकर बाद तन्कीयात
 मूल बाद के साथ संलग्न रहे।

~~...~~
 निषयि नन्दलाल

डा. खण्ड आधिकारी
 नैतवां (बुन्दी)

